

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति याद संख्या :- 395 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

मरकुस तिकी

अशोक सिंह बिंझिया

-

-

विक्रेता

क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, ताशियर सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

16.11.23

आदेश

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती मरकुस तिकी पिता/पति स्व० मंगला तिकी ग्राम-कालामाटी, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
कालामाटी	216	32	997	0.50

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती मरकुस तिकी पिता/पति स्व० मंगला तिकी ग्राम-कालामाटी, थाना-खूँटी, जिला खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती अशोक सिंह बिंझिया पिता/पति बालगोविन्द बिंझिया ग्राम-सिलदा, थाना-खूँटी, जिला खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0653975738 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 839 दिनांक 10.11.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है आवेदक पंजी II रैयतों में से एक भोजा उराँव के पोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 30 पर जमावंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु विक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 245 दिनांक 11.10.2023 के साथ अंचल

अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2022/155711 दिनांक 04.05.2022 वो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी खूँटी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2022/196763 दिनांक 29.04.2022 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुरूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की विक्री हेतु अनुशंसा किया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 839 दिनांक 10.11.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती गरकुस तिकी पिता/पति स्व० मंगला तिकी ग्राम-कालामाटी, थाना-खूँटी, जिला खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती अशोक सिंह बिंझिया पिता/पति बालगोविन्द बिंझिया ग्राम-सिलदा, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ ग्राम कालामाटी के खाता सं० 32 खेसरा संख्या 997 कुल रकबा 0.50 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।